SHRI SATISH CHANDRA MISRA (Uttar Pradesh): Sir, I want to say something.

MR. CHAIRMAN: Yes, please.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Sir, whatever understanding is there, I don't know, and we are not aware of any such understanding between them and the Government.

MR. CHAIRMAN: There is no understanding.

SHRI P. CHIDAMBARAM (Maharashtra): There is no understanding so far.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: But, so far as we are concerned, we had raised an issue yesterday, which is a very important issue for us, and it should be an important issue for everyone. If the Congress doesn't find it to be an important issue, that is something different; if the BJP doesn't find it to be important, that is something different. But, as for the reservation issue, which both of us, Ram Gopalji and I, had raised yesterday, we would like the hon. Minister to kindly consider that roster issue.

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned to meet at 11.20 a.m.

The House then adjourned at eight minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at twenty minutes past eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

MATTER RAISED WITH PERMISSION

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we will be taking up the President's Address. But before taking it up, as an important issue has been raised, which still remains unresolved and which has wider implications across the country, including some misgivings in some sections, I have decided to relax the rule and allow the Members who have given notice on that particular issue to make their submissions. Other Members can also associate, and, then, if you want, the Minister will respond, and, then, we will go ahead. So, Prof. Ram Gopal Yadav.

Need of 200 Point Roster in appointments in Universities and Colleges

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सर, मैंने पहले भी, इससे पिछले सत्र में भी यह मामला उठाया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, फैसले के बाद 200 प्वाइंट रोस्टर को बदल कर जो 13 प्वाइंट रोस्टर हुआ है, उसका दुष्परिणाम यह है कि जैसे पहले यूनिवर्सिटी को एक यूनिट माना जाता था, उसकी जगह उन्होंने एक कॉलेज को यूनिट मान लिया, कॉलेज को

भी नहीं, बल्कि एक विभाग को यूनिट मान लिया और जब 13 पोस्ट्स भी अगर किसी विभाग में हों, तब भी उसमें 9 जेनरल कैटेगरी की होंगी, 3 ओबीसी की होंगी और एक एससी की होगी। 14वीं पोस्ट होती एसटी की, जो कभी आ ही नहीं सकती है। यह कभी नहीं आ सकती है। 200 साल में भी किसी एसटी को किसी यूनिवर्सिटी में रिज़र्वेशन के आधार पर अप्वाइंटमेंट या कॉलेज में हायर एजुकेशन में जगह नहीं मिल सकती, न उनके बच्चों को दाखिला ही मिल सकता है। अभी 13 यूनिवर्सिटीज़ ने 706 पोस्ट्स के लिए एडवर्टाइज़मेंट जारी किया है, जिनमें केवल 18 शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए, 57 ओबीसी के लिए, none for ST और 606 या 646 के आसपास जेनरल कैटेगरी के हैं। अगर यह स्थिति है, तो जो संविधान निर्माताओं की भावना थी और जो आरक्षण की व्यवस्था है, जिसको इंदिरा साहनी केस में भी ...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं तीन मिनट भी नहीं लूँगा। इंदिरा साहनी केस में जिसको भी valid ठहराया गया था, वह सब बेकार हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से पैरवी नहीं हुई। यहां मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, उसका पालन नहीं हुआ। आज मैं सिर्फ यह मांग करता हूँ कि रिव्यू पिटिशन से कुछ होने वाला नहीं है। आप बिल लाइए। आप EWS पर 48 घंटे में बिल ला सकते हैं। मंडल कमीशन 1980 में आया। ...(**व्यवधान**)... सर, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए हैं। ...(**व्यवधान**)... तीन मिनट से पहले ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप तीन मिनट का समय लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादवः तो आप बिल लाइए। वह एक आरक्षण लागू हुआ था, उसमें 13 साल लगे। EWS पर आपने 48 घंटे में कर दिया। तो इस पर बिल क्यों नहीं लाया जा सकता है? यह 85 परसेंट लोगों का मामला है। आप यह बिल लाइए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल लाइए। ...(**व्यवधान**)... अभी हमारे अन्य लीडर्स, जिन्होंने नोटिस दिये हैं, they will speak.

श्री सभापतिः प्रो. मनोज कुमार झा।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार)ः सभापति महोदय, यह विषय इसलिए भी सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हाहाकार मचा हुआ है। महोदय, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैंने नया रोस्टर देखा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को एक सूचना दे देता हूँ। सर, 10वें नम्बर पर EWS आ रहा है और उस रोस्टर में कहीं शैड्यूल्ड ट्राइब नहीं आ रहा है, अनुसूचित जनजाति नहीं आ रहा है। अगर आप रेप्रेजेंटेशन को भी देखें, तो ओबीसी का रेप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, एससी का रेप्रेजेंटेशन कम हो रहा है और एसटी-- क्योंकि अगर विभागों में और विषयों में कोई यूनिट मान कर यह होगा, तो मैं एक साधारण उदाहरण दूँ कि 225 साल के बाद किसी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं आ पाएगा। मैं सरकार को यह भी आगाह कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, आपके यहां कागजात पड़े हुए हैं, National Commission for Scheduled Tribes के 3.12.2018 के मिनट्स मेरे पास हैं। आपको सिर्फ इसको बहाल करना था, न जाने किस प्रकार की सोच में आपने ऐसा किया। सर, review petition नहीं चलेगा, इसके लिए फौरी तौर पर अधिनियम की जरूरत है। आप 48 घंटे के अंदर बिना दस्तावेज का EWS के लिए कितना खूबसूरत एक अधिनियम ले आए, बस उतनी संजीदगी होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, अन्यथा पिछड़ों, दलितों, अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय हो रहा है। मेरी यह मांग है कि advertisements को रोका जाए।

SHRI SATISH CHANDRA MISRA (Uttar Pradesh): Hon. Chairman, Sir, you are fully aware that in front of you, the Minister had given an undertaking earlier that no appointment would be made under the guidelines which were issued in pursuance of the Judgement of the Allahabad High Court. In spite of that, advertisements have been issued which are now before the House, which have already been placed here. The High Court, in its Judgement, also said, "As already recorded above, the reservation has been applied by way of executive instructions and not by way of legislation." And the guidelines framed by way of executive instructions were set aside and a direction was given that you would consider different departments as a unit and not the university. The net effect is that ST is zero. ...(*Interruptions*)... The net effect is that ST is zero. The Scheduled Castes in departments, which have less than seven seats, would never get reservation or would get in 20 years. So, this is the policy. Once the judgement is there, they are saying that they will file a review petition. The Minister's statement is there in today's newspapers. He agrees that this is wrong. So if it is wrong, then why is he not bringing forward a Bill? ...(*Interruptions*)... Sir, it is half-a-minute only. The assurance which we want from the hon. Minister today is कि वे यहां पर यह आश्वासन दें कि हम कोई further appointment नहीं करेंगे, जब तक कि इस पर कोई निर्णय नहीं हो जाता है। जहां तक review petition की बात है, उसके संबंध में हम लोग भी जानते हैं कि यह चैम्बर में डिसाइड होता है और उसका disposal हो जाता है। That is the procedure. I am telling about the procedure. The procedure is, it is inside the chamber and it is not an open court hearing. सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पहले ही कह दिया है कि इस सिलसिले में अब कोई मुकदमा मत लाइए, तो ऐसे में हम लोग कहां जाएं? हम लोग इस पर आपका संरक्षण चाहते हैं कि जब इन्होंने बयान दिया, then, he should comply with it. Why have the advertisements been issued? The advertisements should not have been issued at the first instance. He should also assure that a Bill would be brought forward in this Session. If they could bring forward a Constitutional Amendment overnight, they should bring forward this Bill also. Till such time, no further appointments be made.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Binoy Viswam. ...(*Interruptions*)... I want everybody to keep in mind the time because the issue has already been raised. ...(*Interruptions*)... I am allowing only those Members who have given notice. ...(*Interruptions*)... Others can associate. ...(*Interruptions*)...

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, all documents are before the House today. I don't want to take much time. Sir, I request the Government that it should uphold the principles of social justice. It is a principle that no Government can deny. SCs, STs and OBCs do have a rightful place in the society. Their proper representation in the faculties of universities is a must, not for the present only but for the future

also. The present view of the Government is going to close the doors for SCs, STs and OBCs. ...(*Interruptions*)... It is unjust. So, we believe that, with all sense, the Government would now understand the pulse of the House and give an assurance here that the roster would be according to 200-point system.

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...(*Interruptions*).. Whoever wants to associate may please raise his or her hand. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. K. RAGESH (Kerala): Sir, I associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRI MAJEED MEMON (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRIMATI SHANTA CHHETRI (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRI AHAMED HASSAN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

PROF. JOGEN CHOWDHURY (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

DR. MANMOHAN SINGH (Assam): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRI GHULAM NABI AZAD (Jammu and Kashmir): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRI P. CHIDAMBARAM (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

DR. VIKAS MAHATME (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRI OSCAR FERNANDES (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री अहमद पटेल (गुजरात): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री पी. एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

डा. चन्द्रपाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री शमशेर सिंह दुलो (पंजाब): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the matter raised by Prof. Ram Gopal Yadav. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: You have already made that submission and given your suggestion. ...(*Interruptions*)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः सर, मैं इस पर solution देना चाहता हूँ और वह यह है कि इस रोस्टर को पलट दिया जाए यानी पहले एससी, एसटी, ओबीसी का किया जाए, उसके बाद **...(व्यवधान)...** अगर ऐसा किया जाएगा, तो यह मसला ही खत्म हो जाएगा। **...(व्यवधान)....**

MR. CHAIRMAN: Minister, do you want to say anything? ...(*Interruptions*)... All the names of Members who have raised their hands would be included. ...(*Interruptions*)... They should send a slip. ...(*Interruptions*)... Mr. Raja, your party Member has already spoken. ...(*Interruptions*)...

श्री भूपेन्द्र यादवः सर, मुझे अपनी पार्टी की तरफ से एक मिनट बोलने का मौका दिया जाए। **...(व्यवधान)...**

श्री सभापतिः यह पार्टी के आधार पर नहीं है, इस पर जिन्होंने नोटिस दिया है, मैंने सिर्फ उनको बोलने दिया है। अब माननीय मंत्री जी बोलें। Otherwise I would have to call all the parties. ...(*Interruptions*)... I have no problem. ...(*Interruptions*)... You can associate.

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर)ः सर, सदन में जो मुद्दा उठा है, उससे हम पूरी तरह से संवेदना रखते हैं, क्योंकि हम आरक्षण के आंदोलन का हिस्सा हैं कि आरक्षण बरकरार रहे। **...(व्यवधान)....**

MR. CHAIRMAN: Let him reply. ...(*Interruptions*)... You can't dictate to him what he has to reply. ...(*Interruptions*)... प्लीज़ आप बैठिए। **...(व्यवधान)...** Let him speak. There is no rule in Zero Hour for the Minister to reply. प्लीज़ आप बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रकाश जावडेकरः जैसे आपने तीन मिनट में अपनी बात की, मैं भी उसी के अंदर बात करूंगा, लेकिन तब तक आप मेरी बात निश्चित सुनेंगे, इतना मुझे विश्वास है। एक यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानने की सरकार की भूमिका है। डिपार्टमेंट वाइज़ रोस्टर सरकार नहीं लाई है, यह कोर्ट के आदेश से आया है। **...(व्यवधान)...** इसलिए हमने कोर्ट का आदेश, जो हमें मंजूर नहीं था, उसके खिलाफ Special Leave Petition दायर की। **...(व्यवधान)...** Special Leave Petition में पैरवी अच्छी हुई। **...(व्यवधान)...** पैरवी कैसे हुई, मैं आपको यह logic भी देता हूँ। **...(व्यवधान)...** मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद हमने 30, 40 यूनिवर्सिटीज़ को पूरा स्टडी किया कि vacancies जहां हैं, वहां अगर डिपार्टमेंट वाइज़ करेंगे, तो Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs पर कैसे अन्याय होता है। इसे कोर्ट के सामने रखने के लिए हमने सारी यूनिवर्सिटीज़ का अध्ययन करके, उसी के आधार पर review petition तैयार की है और मुझे पूरा विश्वास है कि review petition में न्याय होगा। **...(व्यवधान)...** हमारी प्रतिबद्धता आरक्षण में है। **...(व्यवधान)...**

श्री सभापतिः उनको बोलने दीजिए। **...(व्यवधान)...** उनको बोलने दीजिए। **...(व्यवधान)...** You just hear him and then, afterwards, you......(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकरः हमारी आरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता है, 100 परसेंट है। ...(**व्यवधान**)... हम इस पर आंच नहीं आने देंगे। ...(**व्यवधान**)... यूजीसी के circular का एक मुद्दा निकला, उसे भी मैं बताना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट ...(**व्यवधान**)... एक मिनट ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज ... (**व्यवधान**)... बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)... This will not go on record. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकरः आपको पता है कि इस सदन में बहुत सारे वकील हैं, जो कानून के जानकार हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... This is not going on record, please. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकरः आरक्षण बचाने के लिए कोर्ट के Department-wise आदेश के बावजूद भी यूजीसी ने circular निकाला और circular कभी withdraw नहीं किया। ...(**व्यवधान**)... जैसाकि सतीश जी ने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ पहले गईं, कोर्ट ने उनको पहले राहत दी। ...(**व्यवधान**)... यह जो circular stay करने का निर्णय हुआ है, उसके बारे में भी हम लीगल सलाह ले रहे हैं, ताकि तब तक किसी के साथ अन्याय न हो। ...(**व्यवधान**)... Review Petition जीतने के बाद Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs को पूरा न्याय मिले, यही हमारी भूमिका है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... You go to your seat, please. ...(*Interruptions*)... You go to your seat. ...(*Interruptions*)... What is this? ...(*Interruptions*)... If you are not satisfied, there is a way. ...(*Interruptions*)... Obstructing the proceedings of the House is no way. ...(*Interruptions*)... Nothing shall go on record. ...(*Interruptions*)... Nothing shall be shown. ...(*Interruptions*)... The House is adjourned to meet at 2.00 p.m.

The House then adjourned at thirty-four minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at two of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the chair.*

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Inclusion of Kannada in records of UNESCO

*46. SHRI D. KUPENDRA REDDY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government of Karnataka has requested the Central Government to recommend inclusion of Kannada a classical language in the records of UNESCO;

(b) if so, the details thereof;